Production Directorate in Railway Board

698. Shri Arjun Singh Bhadauria: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Production Directorate has been started in the Railway Board; and

(b) if so, what are its functions?

The Deputy Minister of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) Yes.

(b) A Production Directorate has been set up in order to guide and assist the Railways in introduction of the system of Payment by Results in Railway Repair Workshops, as a step towards increasing productivity.

Railway Protection Force

699. Shri Surya Prasad: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the total strength of the Railway Protection Force in all categories; and

(b) the number of Scheduled Caste employees among them?

The Deputy Minister of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) and (b). The required information is given below:—

Railway	Strength of R.P.F.	No. of Scheduled Caste
Central . .	6772	971
Eastern . .	8983	539
Western . .	6847	349
Northern . .	7641	587
Southern . .	5469	505
North Eastern .	4143	230
North East Frontier	2470	215
South Eastern. .	5917	522
Integral Coach Factory . .	446	81

रेलवे यात्रियों पर आक्रमण

७००. { **श्री जगदीश अवस्थी :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि १८ नवम्बर, १९५९ को उत्तर रेलवे के बरेली स्टेशन के निकट पीताम्बरपुर स्टेशन पर खड़ी गंगा-दिल्ली यात्री गाड़ी के कुछ यात्रियों पर कुछ व्यक्तियों ने हमला किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) इस घटना की जांच के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ;

(घ) क्या यह भी सच है कि घायल यात्रियों को उक्त स्टेशन पर प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) की सहायता तुरन्त नहीं दी गई ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जी हां। १४–११–५९ को, जब नं० १ आर० एम० डी० गाड़ी पीताम्बरपुर स्टेशन पर खड़ी थी, ४ आदमियों ने तीसरे दर्जे के एक डिब्बे में घुसने की कोशिश की और उस डिब्बे में बैठे यात्रियों ने उन्हें अन्दर आने से रोका। इस पर इन ४ आदमियों ने खिड़की पर पत्थर फेंके जिसकी वजह से एक शीशा और उस डिब्बे में बैठे एक यात्री का ऊपर का एक दांत टूट गया। इसके बाद ये चार आदमी जबरदस्ती खिड़की के रास्ते डिब्बे में घुस गये।

(ग) भारतीय रेल अधिनियम की धारा १२० के अधीन इन ४ आदमियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और बरेली की रेलवे पुलिस इसकी जांच कर रही है।